न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, अम्बेडकर नगर।

सत्र परीक्षण संख्या–03 / 2024

सरकार————————————————बनाम——————————————जिलाजीत राजभर।

09.04.2026

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। अभियुक्त जिलाजीत राजभर पुत्र रामू, निवासी–आरो उसरहवां, थाना–कोवातली अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर के संबंध में थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर की पुलिस द्वारा आख्या दी गयी है कि ''उक्त एन0बी0डब्लू0 का तामीला अमल में लाया गया तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त जिलाजीत राजभर पुत्र रामू निवासी उसरहवा थाना कोतवाली अकबरपुर अम्बेडकरनगर की मृत्यु दिनांकः 13.08.2025 को हो चुकी है। सभासद की तहरीर वारण्ट के साथ संलग्न है।'' थाने की आख्या एवं सभासद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार अभियुक्त जिलाजीत राजभर की मृत्यु होना साबित है। ऐसे में अभियुक्त जिलाजीत की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद उपशमित किया जाता है। अभियुक्त जिलाजीत की पत्रावली पूर्व में अन्य अभियुक्तगण की पत्रावली से पृथक की गयी थी, जिस कारण इस पत्रावली में अन्य कोई अभियुक्त शेष नहीं है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1,
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी.6067

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.04.09 17:12:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court